HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16535/2026
CNR: RJHC021012962026 | URN: CRLMB / 30528U / 2026

1. Gaurav Singh S/o Mel Singh, Aged About 24 Years, R/o Village Pawta, Police Station Salempura, District Dausa. (At Present Confined In Central Jail Jaipur).
2. Rajkumar S/o Narsiram, Aged About 31 Years, R/o Village Tigariya, Police Station New Mandi, District Karauli. (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajveer Singh Rajawat
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP Mr. Shubham Garg with Mr. Dheeraj Meena

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/10/2026

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना रामनगरिया, जिला–जयपुर शहर पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 336(3), 340(2), 204 61(2), 347(1) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी की राजकीय कार पर लगी हुई नंबर प्लेट की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर व उस पर हाईकोर्ट तथा न्यायाधिपति का स्टीकर लगाकर उपयोग करने का आक्षेप है। उनका तर्क है कि उक्त वाहन के स्वामी प्रार्थीगण नहीं हैं,

उन्होंने तो अपने मित्र परमजीत से उक्त वाहन को लिया था और उसे लेकर दिल्ली गए थे। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। प्रार्थीगण का उक्त वाहन से कोई लेना–देना नहीं है। उनका तर्क है कि उक्त वाहन प्रार्थीगण ने परमजीत से लिया था, जिसका फाइनेंस परिवादी बैंक से करवाया गया था। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण दिनांक 01.10.2026 से अभिरक्षा में हैं। उनके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण ने परिवादी के नाम से पंजीकृत वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की फर्जी नंबर प्लेट बनाकर किसी अन्य वाहन पर लगाकर उसका दुरुपयोग किया है। उनका तर्क है कि परिवादी को उक्त संबंध में जानकारी तब हुई, जब उसके परिसर में खड़ी गाड़ी का टोल टैक्स कटने की सूचना मोबाईल पर प्राप्त हुई। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण उक्त वाहन को चलाकर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हैं, जिस संबंध में फुटेज प्राप्त की गई, तो उसमें प्रार्थीगण दर्शित हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण ने वाहन पर हाईकोर्ट व न्यायाधिपति का स्टीकर लगाकर उसका दुरुपयोग किया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अभी यह अनुसंधान किया जाना है कि क्या उक्त वाहन चोरी का है या वाहन पर प्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार के हाईकोर्ट व न्यायाधिपति के स्टीकर लगाने का क्या उद्देश्य था और क्या वे वाहन को किसी गंभीर अपराध में प्रयुक्त करने तो नहीं जा रहे थे। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रयुक्त वाहन जिस व्यक्ति के नाम पंजीकृत है, वह व्यक्ति परमजीत अभी तक फरार चल रहा है और यदि ऐसे में प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो अनुसंधान विपरीततः प्रभावित होगा। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण उक्त वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दिनांक 02.01.2026 से प्रयोग कर रहे थे। उनका तर्क है कि उक्त संबंध में जानकारी दिल्ली में पार्किंग का विवाद होने और उस विवाद में दिनांक 01.10.2026 को उक्त वाहन के जब्त होने से हुई है। उनका तर्क है कि अभी प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि प्रार्थीगण वाहन के स्वामी नहीं हैं तथा उन्हें वाहन पर गलत नंबर प्लेट लगाए जाने की जानकारी नहीं थी। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण तो केवल अपने मित्र से वाहन मांगकर दिल्ली ले गए थे।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 318(2), 336(3), 340(2), 204 61(2), 347(1) भारतीय न्याय संहिता के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्तगण पर आक्षेप है कि उन्होंने परिवादी के नाम से पंजीकृत वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की फर्जी नंबर प्लेट बनाकर किसी अन्य वाहन पर लगाकर उसका दुरुपयोग किया है। इसके साथ ही उक्त वाहन पर हाईकोर्ट व न्यायाधिपति का फर्जी स्टीकर भी लगा होना पाया गया है। अनुसंधान के दौरान लिए गए सीसीटीवी फुटेज से उक्त वाहन में प्रार्थीगण का होना प्रकट हुआ है। **प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ है।** अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

112/NIMIT GOYAL